<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/मातमी/588/2003/उदयपुर</u>

राजस्थान राज्य

अपीलार्थी

बनाम

1 पुरूषोत्तमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट
2 हरिसिंह पुत्र सज्जनसिंह राजपूत निवासी आमेट
3 नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी आमेट
4 श्रीमती नारायण कुंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी शिवनाथसिंह राजपूत निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (मृतक) जरिये कायम मुकाम
4/1 श्रीमती चन्द्र कुंवर पुत्री नारायण कुंवर नि0 मार्फत ठाकुर कानसिंह बेरावण्डा हाउस–304, ग्राम खातीपुरा आफिसर्स काम्पलेक्स, सिरसी रोड जयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक
श्री डूंगरसिंह वकील एवं
श्री योगेन्द्रसिंह वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः..13.9.18</u>

यह अपील फोती प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला तहसील आमेट के उत्तराधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2000 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2002 से प्रेषित की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला के उत्तराधिकारी घोषित किये जाने हेतु राजस्थान जागीर डिसीजन्स एवं प्रोसिडिंग्स (वेलीडेशन) एक्ट 1955 के अन्तर्गत जिला कलक्टर,

उदयपुर के यहां कार्यवाही चली एवं राजसमन्द नया जिला सृजित होने से आमेट तहसील राजसमन्द जिले में आने से अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द ने पुरूषोत्तमसिंह को जिलोला जागीर कावारिस मानते हुए अन्तिम निर्णय हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 23.2.99 से प्रकरण पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटाया कि वे अपनी संस्तुतिया राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रेषित करें। अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द ने दोनों पक्षो को नोटिस देकर विधि अनुसार कार्यवाही कर अपनी संस्तुती दिनांक 13.1.95 से प्रकरण भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को प्रेषित किया। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने विधि अनुसार कार्यवाही कर श्री पुरूषोत्तमसिंह को पूर्व जागीरदार प्रतापसिंह जिलोला का उत्तराधिकारी मानते हुए यह प्रकरण धारा 6 एवं अन्तिम निर्णय हेतु संदर्भित कर राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं दोनों पक्षो की बहस मनन करने से यह स्पष्ट है कि फोती प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला की बेवा ने अपने पति की ईच्छा अनुसार ही पुरूषोत्तमसिंह को गोद लिया था। यह गोदनामा दिनांक 23.8.52 को उप पंजियक आमेट द्वारा पंजीकृत किया गया है। फोती प्रतापसिंह का देहावसान दिनांक 19.9.42 को वाहन दुर्घटना में हो गया था। पुरूषोतमसिंह को उनकी ईच्छा के अनुसार ही गोद लिया गया था। गोदनामा 10 वर्ष पश्चात पंजिकृत करवाया गया एवं इस पर विपक्षी संख्या 2 की साक्षी है। इसके बावजूद विपक्षी संख्या 2 ने उजरदारी प्रस्तुत की थी जो भी बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में दौराने कार्यवाही उठाली थी। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 3 नारायणसिंह ने भी उजरदारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिन्होंने भी दौराने कार्यवाही उजरदारी उठा ली थी। राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 2.2.88 की पालना में अतिरिक्त कलक्टर, उदयपुर द्वारा श्रीमती चन्द्र कुंवर पुत्री नारायण कुंवर को नोटिस दिया गया परन्तु वे भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई। इस प्रकार श्री पुरूषोतमसिंह को श्री प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला का गोदपुत्र होने से जागीर वारिस घोषित किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत सभी उजरदारियां समाप्त हो चुकी हैं।

बहस कथनो से यह भी स्पष्ट है कि आमेट एवं जिलोला में भाईपा है। जब आमेट में कोई गोद लिया जाता है तो वह जिलोला से जाता है। इसी प्रकार जब जिलोला में गोद लिया जाता है तो वह

आमेट से आता है। इसी क्रम में पूर्व में जिलोला जागीरदार के भाई आमेट गोद गये थे एवं पुरूषोत्तमसिंह उनका ही पोता है। ऐसी स्थिति में पुरूषोतमसिंह नजदिकी रिश्तेदार होने से भी प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला का उत्तराधिकारी है। इसके साथ ही प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला की पत्नी खुमाण कवंर ने पंजिकृत गोदनामा से पुरूषोतमसिंह को गोद लिया है। इस प्रकार फोती प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला का उत्तराधिकारी प्रतापसिंह को मानने में अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है एवं हम अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की पुष्टि करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार श्री पुरूषोत्तमसिंह को फोती प्रतापसिंह भूतपूर्व जागीरदार जिलोला का उत्तराधिकारी माना जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य